दरभंगा में नकली दवा बेचने के आरोप में तीन दुकानदार व कर्मी गिरफ्तार

Author: Jagran Publish Date: Sun, 10 Apr 2022 12:13 AM (IST)Updated Date: Sun, 10 Apr 2022 12:13 AM (IST)

दरभंगा । नकली दवा बेचने के आरोप में तीन दुकानदार व कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें बेंता स्थित मयंक मेडिकल हाल के कर्मी योगी यादव, हास्पिटल रोड स्थित वर्षा हेल्थ मेडिसिन के मालिक मनोज कुमार साह और कर्मी युवराज कुमार साह शामिल हैं। लहेरियासराय थानाध्यक्ष एचएन सिंह ने बताया कि तीनों को औषधि नियंत्रक विभाग, दरभंगा की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के तहत गिरफ्तार किया गया है। बेंता स्थित मयंक मेडिकल हाल हास्पिटल रोड स्थित वर्षा हेल्थ मेडिसिन और शाहगंज बेंता स्थित महालक्ष्मी ड्रग एजेंसी से भारी मात्रा में नकली दवा जब्त की गई है। मामले में सात लोगों को आरोपित किया गया है। इसमें पंजाब के मेसर्स वैष्णवी हेल्थ केयर के निदेशक, मयंक मेडिकल हाल के मालिक आशा कुमारी, उनके पति योगी यादव, महालक्ष्मी ड्रग एजेंसी के मालिक रवि कुमार और कर्मी अशोक प्रसाद, वर्षा हेल्थ मेडिसिन के मालिक मनोज कुमार साह और कर्मी युवराज कुमार साह शामिल हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि दर्ज प्राथमिकी के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। दर्ज प्राथमिकी में खाद्य संरक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिन्हा ने कहा कि 23 मार्च 2022 को एक बड़ी दवा कंपनी के सचिव ने दरभंगा औषधि नियंत्रक कार्यालय से उक्त तीनों दवा दुकानदारों के खिलाफ नकली दवा बेचने की शिकायत की थी। इसके तहत सात अप्रैल को छापेमारी दल गठित की गई। अगले दिन आठ मार्च को छापेमारी की गई। इसमें तीनों दुकान से नकली दवा पाई गई। दुकानदार व उपस्थित कर्मियों से जब उक्त दवा की रसीद मांगी तो किसी ने नहीं दिया।

Source: https://www.jagran.com/bihar/darbhanga-three-shopkeepers-and-workers-arrested-for-selling-fake-medicine-in-darbhanga-22614650.html